

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

41

भाग-02

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

आनलाइन पंजीयन क्रमांक : FP/CG/OFC/74214/2020

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	आष्टिकल फायबर केबल विछाने हेतु माकड़ी परिक्षेत्र में प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-151, 152, 106, 118, 163, 162, अमरावती परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-221, 222, 166, 278, 270, 272, 266, 268, 265, 261, 259, 260, 246, 247, 223, कोंडागांव परिक्षेत्र के आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.-566, 568, 567, 569, एवं मुलामुला परिक्षेत्र के सरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-344, माकड़ी परिक्षेत्र के सरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-101, 102, O.A. 99 (657), O.A. 98 (656), अमरावती परिक्षेत्र के सरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-404, 410, 418, दहीकोंगा परिक्षेत्र के सरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-453, 519, 521, कोंडागांव परिक्षेत्र के सरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-524, 448, 449, O.A. 565 (930), में से 2.033 हेक्टेयर एवं राजस्व वन भूमि में में 0.148 हेक्टेयर कुल 2.181 हेक्टेयर प्रस्तावित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोंडागांव
(iii)	वन प्रभाग	दक्षिण कोंडागांव वनमंडल, कोंडागांव
(iv)	वनेत्र प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे.)	2.181 हेक्टेयर

(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन खण्ड माकड़ी वन भूमि कक्ष क्रमांक आर.एफ.-151, 152, 106, 118, 163, 162, 221, 222, 166, 278, 270, 272, 266, 268, 265, 261, 259, 260, 246, 247, 223, आरक्षित वन खण्ड दक्षिण गोलावण्ड के कक्ष क्रमांक आर.एफ.-566, 568, 567, 569, एवं संरक्षित वन खण्ड चिलपुटी वन कक्ष क्रमांक पी.एफ.-344, छोटेसलना वन खण्ड के पी.एफ.-101, शामपुर वन खण्ड के पी.एफ. 102, सी.स.व. उत्तर बवई वन खण्ड के O.A. 99 (657), सी.स.व. दक्षिण बवई वन खण्ड के O.A. 98 (656), बीजापुर वन खण्ड के पी.एफ.-404, पोलकाबेड़ा वन खण्ड के पी.एफ. 410, बिंजोली वन खण्ड के पी.एफ. 418, सम्बलपुर वन खण्ड के पी.एफ. - 453, 448, 449, जामगांव वन खण्ड के पी.एफ. - 519, 521, 524, दहीकोंगा "ई" वन खण्ड के O.A. 565 (930)
(vi)	हरियाली का घनत्व	प्रस्तावित क्षेत्र के आस – पास के वन भूमि में वृक्षों का घनत्व 0.2 से 0.8 है।
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एफ.-4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रस्तावित परियोजना में कोई भी वृक्ष कटाई नहीं की जा रही है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीझोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-01 कॉलम-02 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ अपेक्षित हो, दें।	प्रस्तावित वन भूमि परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :	
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खंडों की संख्या प्रत्येक भू-खंड का आकार।	—
(ii)	(प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	—
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	—
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	—
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम-07 (xi, xii), 08 और 09 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	प्रस्तावित क्षेत्र 40.00 हेक्टेयर से कम होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाईल :	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	6417.27 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	4084.077 वर्ग किलोमीटर
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	प्रकरण - 41 रकबा - 691.304 हेक्टेयर

(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक :	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि ।	— निरंक —
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	—
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :	
(क)	वन भूमि ।	2520.828 हेक्टेयर
(ख)	वनेत्तर भूमि पर ।	—
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	कोंडागांव जिले के दक्षिण कोंडागांव वनमंडल अंतर्गत Diversion land for OFC Bharat Sanchar Nigam Limited- South Kondagaon Division, Provide High Speed Connectivity in LWE and will help in implementing the central govt. scheme under digital India program in chhattisgarh हेतु आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने से छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग में सुदुर क्षेत्र तक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान-प्रदान में सुविधा होगी। अतः प्रस्ताव अनुशंसा सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

स्थान : कोंडागांव

दिनांक : 14/5/2022

उत्तम कुमारगुप्ता
(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोंडागांव वनमंडल
कोंडागांव